

**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, रांची**

कार्यालय आदेश सं0-19M-15/2011- **161** दिनांक.....**31**...../08/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी दक्षिणी छोटानागपुर, रांची के ज्ञापांक 732 दिनांक 19.08.2016 द्वारा प्राप्त अनुसंशा एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 1023 दिनांक 06.03.2002 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आलोक में प्रशासनिक दृष्टिकोण से कार्यसेवा हित में कॉलम 3 में अंकित प्रक्षेत्र का अतिरिक्त प्रभार कॉलम 4 में अंकित वन क्षेत्र पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से दिया जाता है:-

क्र0 सं0	वन क्षेत्र पदाधिकारी का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	अतिरिक्त प्रभार में रहने वाले वन क्षेत्र पदाधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापन
1	2	3	4
1.	श्री राम रघुवीर ठाकुर	सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र, तमाड़	श्री इलियास आईन्द, वन क्षेत्र पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र, लोहरदगा

उपरोक्त वन प्रक्षेत्रों में सरकार के स्तर से किसी अन्य वन क्षेत्र पदाधिकारी का पदस्थापन होने पर उक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ आवश्यक समझे जाने पर उक्त व्यवस्था कभी भी सरकार/ अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवक्रमित की जा सकेगी।

ह0/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
झारखंड, रांची

ज्ञापांक..19M-15/2011-

दिनांक...../08/2016

**प्रतिलिपि-** प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
झारखंड, रांची।

ज्ञापांक..19M-15/2011-

दिनांक...../08/2016

**प्रतिलिपि-** अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, रांची/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, रांची एवं संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह0/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
झारखंड, रांची।

ज्ञापांक..19M-15/2011- **3391**

दिनांक.....**31**...../08/2016

**प्रतिलिपि-** Envis Center, Ranchi को विभागीय वेबसाईट पर PCCF Instruction Tab में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
झारखंड, रांची